भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1935
02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनआरएचएम के अंतर्गत राजस्थान को निधि

1935. श्री अमरा राम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान राजस्थान के लिए कितनी निधि/बजट स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सरकार का उन स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु निधि/बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, जिनके पास स्वयं का भवन नहीं है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन केन्द्रों के लिए भवन निर्माण का विचार रखती है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कब तक होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड़): समतामूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सार्वभौमिक सुलभता के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वित कर रहा है। सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से अल्पसेवित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और सुलभता में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, व्यय विभाग की शर्तों को पूरा करने के आधार पर राजस्थान सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निधियां जारी की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राजस्थान राज्य को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय आवंटन और केंद्रीय जारी की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय जारी की गई राशि
2,255.03	660.35

एनएचएम के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति और योजनाबद्ध दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुपालन में जारी की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनएचएम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए राजस्थान राज्य के लिए एसपीआईपी अनुमोदन 2,060.67 लाख रुपये है और राज्य द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार 17.66 लाख रुपये (31.05.2024 तक अद्यतन) का व्यय सूचित किया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को उनके समग्र संसाधनों के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए एनएचएम आरओपी 2024-26 के तहत प्रदान की गई स्वीकृतियों के विवरण को https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinklid=1377&lid=744. लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था, जिसे 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों में लागू किया जाना है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फैले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सीएसएस के अंतर्गत एक घटक ग्रामीण क्षेत्रों में 17,788 भवनहीन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (एएएम) का निर्माण करना है, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

पीएम-एबीएचआईएम के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत 7808 भवन रहित उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 4088.21 करोड़ रुपये, 1820 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 797.44 रुपये, 890 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाई के लिए 819.96 करोड़ रुपये, 352 आईपीएचएल के लिए 564.5 करोड़ रुपये और क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के लिए 7923.42 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

*****